न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
097/2025(रा.अ.) (GCMS 2025/97)	23.09.2025	15.01.2026

अनवान

शंकरी पुत्री उदीबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति कच्छावा उम्र 39 साल निवासी काछियाखेडी हाल मुकाम हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अपीलार्थी

बनाम

1 पटवार हल्का कपासन ए जरिये पटवारी, पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :– अम्बालाल औड अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रत्यर्थीगण

अपील इन्तकाल अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एक्ट बनाराजगी इंतकाल मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन इन्तकाल नंबर 4534 दिनांक 26.09.2023

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के इन्तकाल नंबर 4534 दिनांक 26.09.2023 निर्णित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये एक तरफा नामान्तरकरण दायर किया जाकर निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। प्रकरण में तहसीलदार कपासन द्वारा पत्रांक/भू–अभि/2025/1359 दिनांक 17.12.2025 से निर्णित नामान्तरकरण के संबंध में दस्तावेज प्रेषित किये जो कि शामिल पत्रावली पर है। प्रकरण में बहस पत्रावली सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि निर्णय दिनांक 26.09.2023 को होना बताया गया है जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी को दिनांक 07.09.2025 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलार्थी ने नकल आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तरकरण आदेश की नकल प्राप्त की एवं वैधानिक सलाह लेकर यह अपील प्रस्तुत की जो 30 दिन की अवधि में है। इस कारण न्यायालय में अपील प्रस्तुत है और अपील पेश करने में हुई देरी नामान्तरकरण आदेश की दिनांक से अपील पेश करने तक की अवधि को जानकारी के अभाव में क्षम्य फरमाया जावें। इसी आशय का अपीलार्थी द्वारा सच्चा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम का पुरजोर विरोध कर अपील अपीलार्थी को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारता पूर्वक देखा जाकर प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में हुये समस्त विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया किया कि योग्य अपीलार्थीगण का पारिवारिक सजरा मुताबिक अपील मेमों है। हाल जमबांदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 331 होकर आराजी संख्या 6703 रकबा 0.27 हैक्टेयर, आराजी संख्या 7447/6702 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 0.60 हैक्टेयर, खाता संख्या 1503 आराजी संख्या 6714 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खाता संख्या 1504 आराजी संख्या 6713 रकबा 0.64 हैक्टेयर व खाता संख्या 1823 आराजी संख्या 6705 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी संख्या 6706 रकबा 0.51 हैक्टेयर, आराजी संख्या 6709 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी संख्या 6710 रकबा 0.39 हैक्टेयर, आराजी संख्या 6711 रकबा 0.63 हैक्टेयर आराजी संख्या 6712 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल क्षेत्रफल 3.29 हैक्टेयर स्थित है, उक्त आराजीयात का तहसीलदार कपासन के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4534 दिनांक 26.09.2023 को खोला गया जिसमें मुझ अपीलार्थी के एवं मेरी माता के नाम के मध्य राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से सहवन से पुत्री अंकित होना रह गया है, उपरांकित वर्णित आराजीयात के नामान्तरकरण में मेरी बहिन प्रेमी के नाम में प्रेमी पुत्री उदीबाई अंकित है तथा विरासत के नामान्तरकरण में मुझ अपीलार्थी के नाम व मेरी माता उदीबाई के नाम के मध्य पुत्री का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंकन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से अंकित होना रह गया जिसे शुद्ध कराया जाकर शंकरी पुत्री उदीबाई कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4534 दिनांक 26.09.2023 मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन में अपीलार्थी का नाम शंकरी उदीबाई के स्थान पर शंकरी पुत्री उदीबाई किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 26.09.2023 मृतक खातेदार के मृत्यु होने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर विधिक प्रावधानों के अध्यधीन दायर किया जाकर निर्णय पारित किया गया है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अनुरोध किया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंनत–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 4534 मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए निर्णय दिनांक 26.09.2023 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**''

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

131. The scope of Mutations.-

(i) The status of an estate-holder or a tenant cannot be altered except:—

(a) by agreement of all the parties interested: or

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(b) in consequence of a decree or order which is binding upon them, or

(c) in accordance with facts proved or admitted to have occurred under the relevant provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(ii) In cases of inheritance a summary inquiry into the title is necessary. Where it is claimed that property devolves by reason of will, this should be treated as a case of succession by inheritance and the inquiry will include an enquiry into the validity of the will.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है। हस्तगत नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा शपथ पत्र के सजरा अनुसार दायर कर पेश किया गया है। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई। इसके पश्चात् 26.09.2023 को तहसीलदार कपासन द्वारा पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन द्वारा विवादित नामान्तरकरण से मृतक खातेदार उदीबाई पत्नी गणेशलाल के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के पति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में पटवारी पटवार हल्का बालारडा के वारिसान जांच पर्चा मौका दिनांक 16.09.2023 अनुसार हल्का पटवारी पटवार हल्का कपासन ए द्वारा नामान्तरकरण दायर किया गया जिसमें हल्का पटवारी द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किया जाना प्रतिवेदित नहीं होता है। पटवारी हल्का बालारडा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मृतक खातेदार उदीबाई पत्नी गणेशलाल जाति काछी निवासी काछियाखेडी के विधिक वारिसान में पुत्र मुकेश, राजमल, पुत्रीयां शंकरी, प्रेमी एवं पति गणेशलाल अंकित किये गये एवं उसी अनुसार अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। मृतक खातेदार की जॉच किये जाने के पश्चात् मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है, किन्तु हल्का पटवारी कपासन ए द्वारा नामान्तरकरण दायर किये जाने में शंकरी पुत्री उदीबाई के स्थान पर शंकरी उदीबाई सहवन वश अंकित किया जाना प्रतिवेदित होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना नहीं किया जाना प्रतिवेदित होता है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का होकर उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय महत्वपूर्ण है एवं खातेदार के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के सही–सही विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है, अपीलार्थी मृतक खातेदार उदीबाई पत्नी गणेशलाल जाति काछी निवासी काछियाखेडी की पुत्री है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 4534 निर्णय दिनांक 26.09.2023 का निर्णित किये जाने के संबंध में त्रुटि कारित की है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 4534 निर्णय दिनांक 26.09.2023 के निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन द्वारा विधिक त्रुटि किया जाना परिलक्षित होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन का नामान्तरकरण 4534 दिनांक 26.09.2023 को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीया आंशिक स्वीकार जाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के नामान्तरकरण 4534 दिनांक 26.09.2023 को संशोधित किया जाकर शंकरी उदीबाई के स्थान पर शंकरी पुत्री उदीबाई किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन आदेशानुसार नामानतरकरण संशोधित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार कपासन को सूचनार्थ भिवजाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.01.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़